न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्रजीत सिंह, आई.ए.एस.

सप्लाई अपील प्रकरण सं.– 05/2020

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
1–अणदाराम पुत्र मगाराम लोहार निवासी ग्राम विश्नाबास लोहावट जिला जोधपुर बहैसियत अधिकृत विक्रेता–मैसर्स अणदाराम उचित मूल्य ग्राम विश्नावास लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।		1–जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 3ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश, 1976 के क्लॉज 22 तथा लोक वितरण प्रणाली (नियंत्रक) आदेश 2001 विरूद्ध निर्णय दिनांक 19.11.2020 जो प्रकरण सं0 12/20 सरकार बनाम अणदाराम उचित मूल्य दूकान में जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :– **दिनांक 23.12.2020**

1– श्री अशोक विश्नोई अधिवक्ता (अपीलार्थीपक्ष)

2– श्री पुष्पराज पालीवाल प्र0 अ0 (प्रत्यर्थीपक्ष)

आदेश

अपील अपीलार्थी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती शिवानी अस्थाना के जांच प्रतिवेदन दिनांक 26.06.2020 विरूद्ध मैसर्स अणदाराम उचित मूल्य दूकान (एफ पी एस कोड–23333) ग्राम लोहावट तहसील लोहावट राशन सामग्री दाल, गेहूँ इत्यादि का वितरण में अनियमितता पाये जाने का पेश करने पर अप्रार्थी/अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण (12/2020) दर्ज कर विभागीय जांच प्रारम्भ की गई तथा बाद जांच अप्रार्थी/अपीलार्थी का राशन सामग्री वितरण में

लगातार...

अनियमितता की पुष्टि होने पर दिनांक 1911.2020 को अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त, प्रतिभूति राशि समपहरण करने एवं दुरूपयोग किये गये 18 किग्रा दाल व 27671.55 किग्रा गेहूँ की वसूली करने का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से विभागीय प्रतिनिधि श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हुए। अधीनस्थ कार्यालय से मूल अभिलेख प्राप्त होने एवं आज ही गुणावगुण बहस सुनी जाने की उभयपक्ष की सहमति होने पर बहस सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वारा विभागीय प्रकरण सं0 12/2020 में दिनांक 06.07.2020 को नोटिस अप्रार्थी/अपीलार्थी को जारी किया गया कि 03 किग्रा दाल की जगह 02 किग्रा दाल दी गई तथा राशनकार्ड में दाल का इन्द्राज नहीं करने, पोस मशीन में दर्ज स्टॉक के अनुसार कुल 156.1 किग्रा चीनी, 561 किग्रा दाल, 256.67 क्विंटल गेहूँ होने चाहिए परन्तु मौके पर 156.00 किग्रा चीनी, 561 किग्रा दाल व 68.5 क्विंटल गेहूँ पाया गया। इस प्रकार 188.77 क्विंटल गेहूँ कम पाया जाना बताया गया। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त नोटिस का जबाब मय रिकॉर्ड दस्तावेज पेश करते हुए बतलाया कि पोश मशीन में इन्द्राज गेहूँ की मात्रा काल्पनिक दर्शायी गई तथा गेहूँ की मात्रा अपीलार्थी को सुपुर्द व विक्रय हेतु दी गई मात्रा निगम कार्यालय द्वारा प्राप्त गेहूँ की मात्रा में भिन्नता है,परन्तु जिला रसद अधिकारी ने इन तथ्यों का नजर अदांज करते हुए अपीलाधीन आदेश जारी करने की भूल की है। बहस में आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा पोश मशीन में 244 क्विंटल गेहूँ वर्ष 2016, 2017, 2018 गलत दर्ज होना बताते हुए इसे दुरस्त करने हेतु जिला रसद अधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया। उक्त प्रतिवेदन पर त्रुटि को ठीक नहीं किया गया।

बहस के निरन्तर में कहा कि उक्त प्रकरण में गेहूँ राजस्थान राज्य खाद्य निगम लिमिटेड के द्वारा अपीलार्थी फर्म को सुपुर्द करते हुए दो प्रकार (एक लाल रंग एवं एक पीले रंग) की रसीद बनाई जाती है, लाल रंग की रसीद में सरकार द्वारा खाद्यान आवंटन का उल्लेख तथा पीली रसीद में अपीलार्थी उचित मूल्य दूकान को खाद्यान सुपुर्द/प्राप्त करने का उल्लेख होता है अर्थात् अपीलार्थी द्वारा पीली रसीद ही भौतिक रूप से गेहूँ प्राप्त होने का प्रमाण हे अतः पोश मशीन में इन्द्राज गेहूँ की मात्रा मान्य नहीं होती है। जिला रसद कार्यालय की पोस मशीन में सितम्बर 2016, सितम्बर 2017, अक्टूबर 2017, दिसम्बर 2017, जून 2018 व जनवरी 2019 की अवधि में पोश मशीन में गलत तरीके से गेहूँ की मात्रा इन्द्राज किया गया जबकि इस अवधि में अपीलार्थी को भौतिक रूप से खाद्य निगम से गेहूँ प्राप्त नहीं हुआ, इस सन्दर्भ में खाद्य निगम द्वारा जारी लेजर एकाउन्ट में भी उल्लेख है अतः जिला रसद कार्यालय की पोस मशीन व खाद्य निगम कार्यालय के रिकॉर्ड में भारी

लगातार...

विरोधाभास है। बहस में यह भी कहा कि राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा एक बिल बनाया जाता है जिसमें किस तारीख को गेहूँ की मात्रा, गेटपास, वाहन नम्बर, गेहूँ प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर का इन्द्राज होता है अर्थात् उक्त रिकॉर्ड ही भौतिक रूप से अपीलार्थी को गेहूँ प्राप्ति होनी पुष्टि करता है। दौरान बहस अपीलार्थीपक्ष से प्रशन किया गया कि क्या पोश मशीन में इन्द्राज गेहूँ की मात्रा गलत दर्शाये जाने बाबत् जिला रसद अधिकारी को कोई प्रतिवेदन दिया गया ? तब प्रतिवेदन देना बताया गया, परन्तु बहस सुनवाई के दौरान इसका दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। बहस के अन्त में कहा कि प्रस्तुत प्रकरण में आये साक्ष्य सबूत व दस्तावेज को नजरदांज करते हुए जिला रसद अधिकारी, द्वितीय जोधपुर ने राजनैतिक दबाव में द्वेषपूर्ण कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है।

प्रत्यर्थीपक्ष की ओर से उपस्थित विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल ने बहस में बतलाया कि विभाग के एक अन्य प्रवर्तन अधिकारी द्वारा माह जून में अपीलार्थी/अप्रार्थी फर्म के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर जांच की गई। जांच/निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी फर्म मैसस अणदाराम उचित मूल्य दूकान (एफपीएस–23333) ग्राम लोहावट द्वारा प्राप्त खाद्य सामग्री का वितरण करने में अनियमिता पाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त फर्म के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दायर करते हुए नोटिस जारी किया गया। जांच में अपीलार्थीपक्ष फर्म द्वारा एक राशन कार्ड पर 03 किग्रा दाल देने की बजाय 02 किग्रा दाल का वितरण करना एवं पोश मशीन मे स्टॉक रूप में 188.77 किग्रा गेहूँ मौके पर कम पाया गया तथा अपीलार्थीपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए एवं संबंधित विभागों के रिकॉर्ड साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन आदेश जारी किया गया, जो विधिसम्मतः है अतः अपील निरस्त योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थीपक्ष ने अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष नोटिस के जबाब में यह स्वीकार किया कि अणदाराम शुगर व बीपी का मरीज होने से दूकान पर राशन सामग्री वितरण के लिए पुत्र शिवप्रकाश को रखा हुआ था जिसको राशन कार्ड में दी जाने वाली दाल की मात्रा का राशनकार्ड में अंकन करने की जानकारी नहीं थी जो मानवीय भूल रहीं है। अपीलार्थी का अपील में मुख्य रूप से कथन है कि माह सितम्बर 2016, सितम्बर 2017, अक्टूबर 2017, दिसम्बर 2017, जून 2018 व जनवरी 2019 की अवधि में पोश मशीन में गेहूँ की मात्रा इन्द्राज गलत तरीके से किया गया, अपीलार्थी को भौतिक रूप से खाद्य निगम से गेहूँ प्राप्त ही नहीं हुआ। अपीलार्थीपक्ष ने अपने उपरोक्त कथन की सत्यता बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली के सलग्न दस्तावेज (फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमि. एवं राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट) के

लगातार....

अनुसार डीलर मैसर्स अणदाराम उचित मूल्य दूकान को माह सितम्बर 2016 में फलोदी कय विकय सहकारी समिति लिमि. द्वारा गेहूं की आपूर्ति तथा माह सितम्बर, 2017, दिसम्बर 2017, जनवरी 2018, जून 2018, जनवरी 2019 में राज. राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 जोधपुर द्वारा गेहूँ की आपूर्ति होना बताया गया, परन्तु जिला रसद अधिकारी जोधपुर द्वितीय ने दिनांक 06.07.2020 को अपीलार्थी/अप्रार्थी को दिये गये नोटिस में 188.17 क्विंटल गेहूँ स्टॉक से मौके पर कम होना बताया गया जबकि अपीलाधीन आदेश में मौके पर 276.66 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया तथा 276.66 क्विंटल गेहूँ की बाजार भाव से वसूली करने आदेश दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब में पोश मशीन में 244 क्विंटल गेहूँ वर्ष 2016, 2017, 2018 गलत दर्ज होना बताते हुए इसे दुरस्त करने हेतु जिला रसद अधिकारी को प्रतिवेदन दिया गया, जिसकी पत्रावली विचाराधीन है, इस बाबत् अपीलाधीन आदेश में पोश मशीन की .जांच करवाई गई या नहीं, जांच में त्रुटि पायी गई या नहीं, स्पष्ट नहीं किया गया। अतः प्रथमदृष्टया स्पष्ट होता है कि प्रवर्तन अधिकारी की द्वितीय तथ्यात्मक रिपोर्ट में 276.66 क्विंटल गेहूँ कम पाया जाने पर अप्रार्थी/अपीलार्थी को पुनः कोई नोटिस देकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, न उसकी पोश मशीन में 244 क्विंटल गेहूँ गलत दर्ज होने का निराकरण करने की कार्यवाही करनी पाई गई।

उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ कार्यालय के अपीलधीन आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर व विधिक प्रावधानों की पालना पूर्ण नहीं की गई है अतः अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर को पुनः प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वास्तविक कितने क्विटल गेहूँ कम पाया गया, अपीलार्थी की पोश मशीन में गलत इन्द्राज होने की शिकायत इत्यादि की पूर्ण जांच कर एवं अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए एक माह में प्रकरण का निस्तारण करे। अपीलार्थीपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वो अधीनस्थ कार्यालय में सुनवाई के लिए दिनांक 11.01.2021 को उपस्थित हो। आदेश की प्रति के साथ पुनः मूल अभिलेख जिला रसद अधिकारी द्वितीय, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।